न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 02/2025 बउनवानी संतोष सोनी **बनाम** लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्री श्री राधेश्याम सोनी निवासी ठठेरा मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/2

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
30.1.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 14.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"पेंशन के संबंध मे 4 बिन्दुओ की सूचना"* उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:सू0का0अधि0/2024/198 दिनांक 29.1.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक प. 1520 दिनांक 20.11.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक अंकित नही होने है केवल मात्र स्वीकृति वर्ष अंकित किया है इसलिए प्रार्थी को चाही गयी सूचना से संबंधित पूर्ण जानकारी 7 दिवस मे कार्यालय मे पेश करने हेतु लिखा गया था किन्तु प्रार्थीया द्वारा कोई जानकारी कार्यालय मे प्रस्तुत नही की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.11.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का स्वीकृति क्रमांक व दिनांक अंकित नही होने के कारण चाही गयी सूचना प्रार्थीया को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे प्रार्थीया को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1520 दिनांक 20.11.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Karta Ram Date: 2025.10.21 15:31:46 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner